सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 25, शुक्रवार, *शाके* 1945-मार्च 15, 2024 *Phalguna 25, Friday , Saka 1945- March 15 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 30, 2024

संख्या प. 2(47)वन/2024 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आषंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18,19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसारण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाषित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते है और पूर्वोक्त तारीख में

कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टर
1	मोटामगरा-अ	गिर्वा	उदयपुर	उत्तर- काश्त भूमि ग्राम गुडली दक्षिण- वनभूमि वनखण्ड मोटमगरा पूर्व- काश्त भूमि ग्राम गुडली पश्चिम- काश्त भूमि ग्राम गुडली	करगेट	आ.न. 4687/994	1.3274
योग							**1.3274**

सुरेन्द्र सिंह शेखावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
उदयपुर (पुर्व)।

अजय चित्तोड़ा,
I.F.S.
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)।

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

वनखण्ड - मोटा मगरा-अ

क्र सं.	अन्तराष्ट्रीय (लेटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	Acacia catechu (L.f) willd.	खैर ,खेड़ा	Mimosaceae
2	Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.	रोंझ, अरूॅझिया	Mimosaceae
3	Acacia nilotica (Linn.) Willd.	बोलिळा, बबूल	Mimosaceae
4	Acacia senegal (Linn.) Willd.	कुमठा	Mimosaceae
5	Adina cordifolia (Willd. Ex Roxb.) Hook	हल्दु	Rubiaceae
6	Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill.	धोंक	Combretaceae
7	Anogeissus latifolia (Roxb.ex DC.) Wall.	धावडा	Combretaceae
8	Azadirachta indica A.Juss	नीम	Meliaceae
9	Bombax ceiba Linn.	सेमल, सेमला	Bombacaceae
10	Boswellia serrata Roxb.ex Coleb.	सालर	Burseraceae
11	Cassia fistula Linn.	अमलतास, बरडावन, करमेला	Caesalpiniaceae
12	Dalbergia sissoo Roxb.	शीशम	Fabaceae
13	Phoenix sylvestris (L.) Roxb.	खजूर	Arecaceae
14	Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.	खिरना, दूधी, खन्नी	Apocynanceae

सुरेन्द्र सिंह शेखावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
उदयपुर (पुर्व)।

अजय चित्तोड़ा,
I.F.S.
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)।

प्रमाण-पत्र

वन खण्ड :- ''मोटामगरा-अ''

रेंज :- उदयपुर (पूर्व)

वन मण्डल:-उदयपुर (उत्तर)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of forest land to Western Railway for gauge conversion works between Udaipur & Chittaurgarh stations- 1.3270 ha. के विरूद्ध ग्राम गुडली तहसील मावली में आराजी संख्या 994 में हाल आराजी 4687/994 रकबा 1.3274 हैक्टर किस्म पहाड, बिलानाम गैर काबिल काश्त है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षैत्रों में विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन् कार्य नहीं हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. इस क्षैत्र में पौधारोपण/विकास कार्य नहीं करवाया गया है तथा कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में इस क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/विकास कार्य कराए जाना प्रस्तावित है।
4. भूमि पर वृक्षों की घनत्व कुछ क्षैत्रों में 0.2 प्रतिशत है। तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों झाडियों का लगभग 0.2 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र वनखण्ड मोटामगरा (वन) भूमि है तथा चारों ओर की सीमा का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वाछिंत मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमा स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र को जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब तक उल्लेखित वन क्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्व हो सकें।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

सुरेन्द्र सिंह शेखावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
उदयपुर (पुर्व)।

अजय चित्तोड़ा,
I.F.S.
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।